

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या-03/बजट-01-09/2026/...../आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष-2245-02-101-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अंतर्गत कुल रु० 2280.00 लाख (बाईस करोड़ अस्सी लाख रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, मुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0016-राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान, माँग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010016 के विषय शीर्ष-37 01-अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व एवं वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है : -

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	पटना	0.00	60.00	60.00
2	भोजपुर	0.00	60.00	60.00
3	बक्सर	0.00	60.00	60.00
4	सारण	0.00	60.00	60.00
5	सीवान	0.00	60.00	60.00
6	गोपालगंज	0.00	60.00	60.00
7	मुजफ्फरपुर	0.00	60.00	60.00
8	वैशाली	0.00	60.00	60.00
9	सीतामढ़ी	0.00	60.00	60.00
10	शिवहर	0.00	60.00	60.00
11	पूर्वी चम्पारण	0.00	60.00	60.00
12	पश्चिम चम्पारण	0.00	60.00	60.00
13	दरभंगा	0.00	60.00	60.00

क्र०	जिला	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
14	मधुबनी	0.00	60.00	60.00
15	समस्तीपुर	0.00	60.00	60.00
16	बेगूसराय	0.00	60.00	60.00
17	खगड़िया	0.00	60.00	60.00
18	मुंगेर	0.00	60.00	60.00
19	लखीसराय	0.00	60.00	60.00
20	भागलपुर	0.00	60.00	60.00
21	सहरसा	0.00	60.00	60.00
22	मधेपुरा	0.00	60.00	60.00
23	सुपौल	0.00	60.00	60.00
24	पूर्णियाँ	0.00	60.00	60.00
25	कटिहार	0.00	60.00	60.00
26	अररिया	0.00	60.00	60.00
27	किशनगंज	0.00	60.00	60.00
28	नालन्दा	0.00	60.00	60.00
29	गया	0.00	60.00	60.00
30	नवादा	0.00	60.00	60.00
31	जहानाबाद	0.00	60.00	60.00
32	औरंगाबाद	0.00	60.00	60.00
33	रोहतास	0.00	60.00	60.00
34	बाँका	0.00	60.00	60.00
35	कैमूर	0.00	60.00	60.00
36	शेखपुरा	0.00	60.00	60.00
37	जमुई	0.00	60.00	60.00
38	अरवल	0.00	60.00	60.00
कुल आवंटन-		0.00	2280.00	2280.00

4. उक्त राशि से विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ०प्र० दिनांक 17.04.2015, 1891/आ०प्र० दिनांक-16.07.2018, 320/आ०प्र० दिनांक-01.02.2019, 3832/आ०प्र० दिनांक 27.09.2021 एवं 1213/आ०प्र० दिनांक 24.03.2022 के आलोक में राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं हेतु व्यय किया जाएगा।
5. आवंटित की गई राशि की निकासी **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाएगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561वि० (2) दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(मो० नदीमुल गपफार सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-09/2026/.....03/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-08-04-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

only
08/04
संयुक्त सचिव